न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या –431 / 2017
अनवान : –

1. फतेह मोहम्मद पुत्र श्री नूर मोहम्मद जाति निलगर निवासी थाना रोड़ नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 12/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक न० 26 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता स० 114 / 101 के प०न० 325 / 414 के मु०न० 05 के किला न० 17 ता 24 की 1.897 हैक्ट, कुल 8 किता की 1.897 हैक्ट, जिसमें 0. 885 हैक्ट, नहरी व 1.012 हैक्ट, बारानी भूमि स्थित है। इसी प्रकार से प०न० 326 / 420 के मु०न० 39 के किला न० 1 की 0.253 हैक्ट, 2 की 0.253 हैक्ट, 3 की 0.253 हैक्ट, 8 की 0.253 हैक्ट, 9 की 0.253 हैक्ट, 10 की 0.253 हैक्ट, 11 की 0.253 हैक्ट, 12 की 0.253 हैक्ट, 13 की 0.253 हैक्ट, 18 की 0.253 हैक्ट, 19 की 0.253 हैक्ट, 20 की 0.253 हैक्ट, 21 की 0.253 हैक्ट, 22 की 0.253 हैक्ट, 23 की 0.253 हैक्ट, कुल 15 किता 3.795 हैक्ट, मु०न० 66 / 10 की 0. 101 हैक्ट मु०न० 66 / 40 की 0.025 हैक्ट, गु.मु. खाला खाते का कुल किता 25 की क्षेत्रफल 5. 818 हैक्ट भूमि जिसमें नहरी 4.68 हैक्ट, बारानी 0.012 हैक्ट, गै.मु. खाला 0.0126 हैक्ट भूमि स्थित है जो कि उक्त भूमि वक्फ की सम्पति है तथा मस्जिद के नाम से बतौर माफी दर्ज है तथा वर्तमान में गैरखातेदारी दर्ज है मै इसी प्रकार रोही मौजा चक न० 28 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता स० 116 के प०न० 324 / 413 के मु०न० 7 के किला न० 16 की 0.2280 हैक्ट, किला न. 17 की 0.2530 हैक्ट, किला न० 18 की 0.2530 हैक्ट, 23 की 0.2530 हैक्ट, 4 की 0. 2530 हैक्ट, 25 की 0.2280 हैक्ट कुल 6 किता की 1.4680 हैक्ट प०न० 325 / 420 के मु०न० 40 के किला न० 1 ता 25 की 6.07020 हैक्ट भूमि मु०न० 80 / 1 के किला न० 9 की 0.2530 हैक्ट, मु०न० 0 / 3 की 0.0500 हैक्ट कुल 33 किता की 7.8430 हैक्ट, भूमि जिसमें नहरी 6. 0720 हैक्ट , बारानी 1.4680 हैक्ट, गै०मु० रास्ता , 0.3030 हैक्ट भूमि स्थित है जो मस्जिद माफी की भूमि है वर्तमान में उक्त भूमि खातेदार मस्जिद ... से दर्ज है। रोही मौजा चक न० 26 एनटीआर की भूमि मस्जिद के नाम ... की आवंटित है तथा वर्तमान में उक्त भूमि मस्जिद के नाम से ही काश्त होती रही है तथा मस्जिद रामसरा ... माफी एवंज में मिली है उक्त भूमि मस्जिद में आने वाले आगंतुको व मौलवी की तनख्वाह व मस्जिद की मरम्मत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:49:28 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

व अन्य मस्जिद से सम्बंधित धार्मिक कार्यो में उपज व्यय होती है वर्तमान में उक्त भूमि गैर खातेदारी दर्ज होने से मस्जिद रामसरा को अपूर्णीय क्षति होती है तथा वाद भूमि का लगान माफ है तथा धार्मिक प्रयोजन के रूप में उपरोक्त भूमि की उपज प्रयोग में ली जाती रही है तथा हमेशा मस्जिद के रखरखाव अन्य खर्चो के लिए उक्त भूमि की उपज का आती रही है वाद भूमि गैर खातेदारी कतई गलत तौर से दर्ज है क्योंकि उक्त भूमि माफी में मिली है तथा 10 वर्षो से ज्यादा कब्जा काश्त में होने से उक्त भूमि कानूनन खातेदारी दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा वाद भूमि वक्फ सम्पति माफी मस्जिद रामसरा की भूमि है तथा खाता स० 116 रोह मौजा चक न० 28 एनटीआर की भूमि बतौर खातेदार दर्ज कर दी। परन्तु रोही मौजा चक न० 26 एन.टी.आर तहसील नोहर के, खाता स० 114 / 101 की भूमि गैर खातेदारी दर्ज रही गई। जो कि सहबन है इसलिए वादी रोही मौजा चक न० 26 एन. टी.आर तहसील नोहर के खाता स० 114 / 101 की भूमि को गैरखातेदारी से खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। तथा उक्त आशयों की वादी घोषणा पाने का अधिकारी है। वादी को उक्त वाद प्रस्तुति के लिए राजस्थान मुस्लिम बोर्ड निगम जयपुर द्वारा 3355 / 2013 दिनांक 07.05.2013 माफी मस्जिद ढाणी अराईयान के लिए दावा प्रस्तुत करने के लिए वादी को अधिकृत किया गया है, तथा राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा वादी के पक्ष में उक्त अधिकार पत्र जारी किया गया है कि जो संलग्न वाद है वादी सामाजिक कार्यकर्ता है तथा वादी का मस्जिद की भूमि होने से हितनिहित है तथा वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है।

वादी ने प्रतिवादी को काफी मर्तबा कहा कि वाद भूमि रोही मौजा चक न0 26 एनटीआर को गैरखातेदारी के माफी मस्जिद वक्फ की मानकर खातेदार दर्ज कर देवे तथा राजस्व रेकार्ड में गैरखातेदारी के बजाय खातेदारी दर्ज करते हुए जिस पर प्रतिवादी कुछ दिन तक आजकल–आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की रोही मौजा चक न0 26 एन.टी.आर तहसील नोहर के खाता स0 114 / 101 के प0न0 325 / 414 के मु0न0 05 के किला न0 17 ता 24 की 1.897 हैक्ट भूमि व प न0 326 / 420 के मु0न0 39 के किला न0 1 ता 3 की 0.768 हैक्ट, किला न0 8 ता 13 की 1.518 हैक्ट, किला न0 18 ता 23 की 1.518 हैक्ट, कुल 15 किता की 3.795 हैक्ट प0न0 66/10/ की 0.101 हैक्ट, गै.मु. खाला व मु0न0 66 / 40 की 0.025 हैक्ट कुल किता 25 की क्षेत्रफल 5.818 हैक्ट भूमि जिसमें नहरी 4.68 हैक्ट, बारानी 0.012 हैक्ट, गै.मु. खाला 0.0126 हैक्ट भूमि जो मस्जिद के नाम से खातेदारी दर्ज की जावे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावें। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज [illegible] दीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार [illegible] शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में [illegible] नवीनतम जमाबंदी व चित्रप्रति पर्चा खतौनी रोही मौजा ढाणी अराईयान, चित्रपति जमाबंदी 28 एनटीआर खाता स0 116, जमाबंदी रोही मौजा चक राजासर खाता स0 277, चित्रप्रति डिक्री दिनांक 07.05.2013, जमाबंदी 26

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:49:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

एनटीआर, जमाबंदी कौलोनाईजेशन विभाग, चित्रपति कार्यालय आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज0 बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस जयपुर दिनांक 31.01.2014 पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 26 एनटीआर के खाता स0 139/127 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि वक्फसम्पतिमस्जिद गैर खातेदार दर्ज है। वादी द्वारा उक्त भूमि को खातेदार दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। वादी उक्त वाद भूमि का किसी प्रकार का टिनेन्ट नही है। राजस्थान काश्तकार अधिनियम के अनुसार टिनेन्ट ही वाद पेश कर सकता है। अत वादी न्यायालय से अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:49:28 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या –431/2017
अनवान : –

1. फतेह मोहम्मद पुत्र श्री नूर मोहम्मद जाति निलगर निवासी थाना रोड़ नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 431 सन 2017 निर्णय दिनांक 12/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री राजपाल झोरड़ एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:49:28 IST
Reason: SelfAttested